



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092025-266182
CG-DL-E-16092025-266182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]
No. 589]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 633(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन में ज्येष्ठ खान सर्वेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन, ज्येष्ठ खान सर्वेक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहृता – (1) वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
ज्येष्ठ खान सर्वेक्षक।	07*(2025)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)।	चयन।				
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोत्तर व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोत्तर व्यक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।				
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोत्तर व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोत्तर व्यक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।				
प्रोत्तर व्यक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।								
प्रोत्तर व्यक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।								
(11)								
प्रोत्तर व्यक्ति:								
वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-5 (29200-92300 रु.) में कोयला नियंत्रक के कार्यालय में ऐसे खान सर्वेक्षक जिन्होंने ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की है और केंद्रीय सरकार द्वारा विहित कार्यक्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।								

टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि वे उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वाशासी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों अर्थात्:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से सर्वेक्षण, खनन या सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा; या खान सुरक्षा महानिदेशालय से सर्वेक्षक का सक्षमता प्रमाण पत्र; और
- (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से खानों के सर्वेक्षण क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सांधारण्यता 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

1. निदेशक, कोयला नियंत्रक संगठन - अध्यक्ष;
2. कोयला अधीक्षक, कोयला नियंत्रक संगठन - सदस्य;
3. उप निदेशक, कोयला नियंत्रक संगठन - सदस्य;
4. अवर सचिव, स्थापना, कोयला मंत्रालय - सदस्य।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

1. निदेशक, कोयला नियंत्रक संगठन - अध्यक्ष;
2. कोयला अधीक्षक, कोयला नियंत्रक संगठन - सदस्य;
3. उप निदेशक, कोयला नियंत्रक संगठन - सदस्य;
4. अवर सचिव, स्थापना, कोयला मंत्रालय - सदस्य।

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 18/07/2019-सीपीएएम/स्थापना/(भाग-I)]

भवानी प्रसाद पाति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 11 September, 2025

G.S.R. 633. (E) .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Mines Surveyor in the Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Coal, the Coal Controller's Organisation, Senior Mines Surveyor (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of said the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union

Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non - selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Mines Surveyor.	07*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level -7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.	Selection.
Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.

Promotion:

Mines Surveyor in the office of the Coal Controller with eleven years of regular service in level 5 (Rs.29200 – 92300) in the pay matrix and having successfully completed two weeks training in area of work prescribed by the Central Government.

Note:

Where juniors who have completed theirs' qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or recognised research institute -

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience namely:-

- (i) three year's diploma in surveying, mining or Civil Engineering from a recognised university or board or institute; or Surveyors Certificate of competency from Directorate General of Mines Safety; and
- (ii) five years' experience in the field of surveying in mines from a recognised institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Director, Coal Controller Organisation – Chairperson; 2. Coal Superintendent, Coal Controller Organisation – Member; 3. Deputy Director, Coal Controller Organisation – Member; 4. Under Secretary, Establishment, Ministry of Coal – Member.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirming Promotion) consisting of:- 1. Director, Coal Controller Organisation – Chairperson; 2. Coal Superintendent, Coal Controller Organisation – Member; 3. Deputy Director, Coal Controller Organisation – Member; 4. Under Secretary, Establishment, Ministry of Coal – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 18/07/2019-CPAM/Estt(Part-I)]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.